न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : एकता काबरा, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 46/2022
निर्णय दिनांक :29.09.2022

1. रामगोपाल गुप्ता पुत्र कल्याण बक्स कसेरा उम्र 77 वर्ष जाति महाजन निवासी– प्लाट नम्बर 05, शिव शक्ति नगर, ग्राम बास बीलवा तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील कार्यालय सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956
बाबत् दुरूस्ती रिकार्ड

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 942 रकबा 0.12 हैक्टयर सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 941 रकबा 0.02 हैक्टयर हिस्सा 1/4 स्थित ग्राम श्रीराम की नांगल, तहसील सांगानेर जिला जयपुर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है जो विवादित है। अप्रार्थी के अधिकारियों व कर्मचारियों ने विवादित राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रामगोपाल पुत्र कल्याण बक्स गुप्ता अंकित कर दिया गया जो कि गलत है प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम रामगोपाल गुप्ता कल्याण बक्स कसेरा है। प्रार्थी के आधार कार्ड इत्यादि समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम रामगोपाल गुप्ता पुत्र कल्याण बक्स कसेरा ही अंकित है परन्तु अप्रार्थी के अधिकारियों व कर्मचारियों ने राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के सही नाम रामगोपाल गुप्ता पुत्र कल्याण बक्स कसेरा की जगह रामगोपाल गुप्ता पुत्र कल्याण बक्स गुप्ता अंकित कर दिया जो कि गलत है। प्रार्थी का सही नाम रामगोपाल गुप्ता पुत्र कल्याण बक्स कसेरा है किन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में रामगोपाल पुत्र कल्याण बक्स गुप्ता अंकित कर दिया गया उक्त गलती को सुधारा जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थी को बैंक से लोन लेने व अन्य सरकारी कार्यों में परेशानी न हो। प्रार्थी के हक में सम्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.10.2004 में एवं आधार कार्ड में भी प्रार्थी का सही नाम रामगोपाल गुप्ता पुत्र कल्याण बक्स कसेरा अंकित है किन्तु अप्रार्थी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहवन से नामान्तकरण संख्या 11 दिनांक 10/12/2004 एवं जमाबंदी में रामगोपाल पुत्र कल्याण बक्स गुप्ता अंकित कर दिया जो कि गलत है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है। [illegible] 2022 को जमाबंदी की नकल लेने से गलती का पता चला है। अतः [illegible]य शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद [illegible] के राजस्व रिकार्ड नामान्तकरण एवं जमाबंदी में अंकित प्रार्थी के गलत नाम रामगोपाल पुत्र कल्याण बक्स गुप्ता को दुरूस्त करके राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व नामान्तकरण में सही नाम रामगोपाल गुप्ता पुत्र कल्याण बक्स कसेरा अंकित करने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार सांगानेर ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विक्रय पत्र दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta Karnani
Date: 2023.01.11 16:04:24 IST
Reason: SelfAttested

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

29.10.2004 क्रमांक 2004008055 में प्रार्थी का नाम रामगोपाल गुप्ता पुत्र कल्याण बक्स कसेरा जाति महाजन अंकित है। नामान्तकरण स्वीकृत दिनांक 10.12.2004 में प्रार्थी का नाम रामगोपाल गुप्ता पुत्र कल्याण बक्स गुप्ता दर्ज है।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में रामगोपाल गुप्ता पुत्र कल्याण बक्स कसेरा दर्ज करने हेतु निवेदन किया। बहस प्रार्थी का अवलोकन किया गया एवं प्रार्थना पत्र में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि विक्रय पत्र दिनांक 29.10.2004 क्रमांक 2004008055 में प्रार्थी का नाम रामगोपाल गुप्ता पुत्र कल्याण बक्स कसेरा जाति महाजन अंकित था एवं प्रार्थी की ओर से पेश आधार कार्ड में भी प्रार्थी का नाम रामगोपाल गुप्ता पुत्र कल्याण बक्स कसेरा अंकित है। लेकिन वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रामगोपाल पुत्र कल्याण बक्स गुप्ता दर्ज कर दिया गया। जिसे दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम श्रीराम की नांगल, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 942 रकबा 0.12 हैक्टयर सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 941 रकबा 0.02 हैक्टयर हिस्सा 1/4 में प्रार्थी का नाम रामगोपाल पुत्र कल्याण बक्स गुप्ता के स्थान पर रामगोपाल गुप्ता पुत्र कल्याण बक्स कसेरा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामल किये जाने के आदेश तहसीलदार सांगानेर को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2022 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एकता काबरा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ekta Karnani
Date: 2023.01.11 16:04:24 IST
Reason: SelfAttested